"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 मई 2013—वैशाख 14, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक 3630/डी. 117/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-04-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगा.

धारा 10 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 10 की उप-धारा (2) के खण्ड (अ) में शब्द "पचास लाख" के स्थान पर, शब्द "साठ लाख" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 19 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खंड (तीन) की प्रविष्टि क्रमांक (3) में, अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "1.5 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 22 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में, शब्द "तीन कैलेण्डर वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच कैलेण्डर वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 25 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (7) में, अंक एवं शब्द "12 प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "अठ्ठारह प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 41 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (2) में, शब्द "साठ लाख" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 49 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(घ) कोई पुनरीक्षण, तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि व्यापारी या व्यक्ति, कर निर्धारण आदेश के अनुसार कुल देय राशि में से, ऐसे कर और ब्याज की राशि, जो उनके द्वारा देय होना मान्य हो, का भुगतान नहीं कर देता."

रायपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक 3630/डी. 117/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2013)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force from 1st April, 2013.

Amendment of Section 10.

2. In clause (a) of sub-section (2) of Section 10 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "fifty lacs", the words "sixty lac" shall be substituted.

Amendment of Section 19.

3. In entry number (3) of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19 of the Principal Act, for the figure and word "1 per cent", the figure and word "1.5 per cent" shall be substituted.

Amendment of Section 22.

4. In sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, for the words "three calendar years", the words "five calendar years" shall be substituted.

Amendment of Section 25.

5. In sub-section (7) of Section 25 of the Principal Act, for the words "twelve per cent", the words "eighteen per cent" shall be substituted.

Amendment of Section 41.

6. In sub-section (2) of Section 41 of the Principal Act, for the words "sixty lacs", the words "one crore" shall be substituted.

Amendment of Section 49.

7. In sub-section (1) of Section 49 of the Principal Act, after clause (c) the following shall be added, namley :—

"(d) No revision shall be admitted unless the dealer or the person has paid the tax and interest admitted to be payable by him out of the total amount due as per the assessment order."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.